

पत्रावली आज पेश हुयी  
वकील पार्थी उपस्थित  
नथर नरसीलदार उपस्थित

Up.

23-8-22  
7-10-22

पत्रावली आज पेश हुयी  
वकील पार्थी उपस्थित  
नथर नरसीलदार उपस्थित  
पार्थी वकील श्री बरस सुनी गधी  
बरस सुजने एवं पत्रावली पर  
उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन  
करने उपरांत यह न्यायोचित प्रतीत



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नहीं होता कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये।

धतः जारी का डार्थना पत्र खारिज किया जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

उप जिला कलक्टर  
चौधरी